पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 362/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना मुबारकपुर: हत्या के अभियोग का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार एवं अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट बरामद ।

पूर्व की घटना–

दिनांक 21.11.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती छोहाड़ी देवी पत्नी बालकिशुन निवासी मोहल्ला सिकठी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दाखिल किया कि मेरे पति बालकिशुन मजदूरी करने के लिये दिनांक 19.11.2024 को समय 08.00 बजे गये थे शाम को घर वापस नही आये बाद मे पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी के पति बालकिशुन की हत्या करके लाश को इस्लामपुरा यूनिवर्सिटी के पास फेंक दिया गया है। इस सूचना पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 464/2024 धारा 103(1)/238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 14.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह पुलिस बल के प्रकाश मे आया हुआ वांछित अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ की तलाश मे रोडवेज मुबारकपुर पर मौजूद था कि मुखबिर खास की सूचना पर मछली मण्डी के पास से प्रकाश मे आये अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 52 वर्ष को एक बारगी घेर कर पकड़ लिया गया। तस्दीक इतमिनान होने पर समय 09.30 बजे दिन मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रफीक अहमद उपरोक्त की निशांदेही पर हत्या मे प्रयुक्त आला कत्ल (ईंट) की बरामदगी घटनास्थल के पास असरफिया यूनिवर्सिटी के पीछे तालाब के किनारे झाड़ियों मे से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-रफीक अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र 52 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 464/2024 धारा 103(1)/238 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, का0 इजहार अंसारी, का0 आलोक रंजन, म0का0 शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक- 13.12.2024 को निदेशक, मुख्यालय महिला एंव बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं बन्धुआ मजदूर से लोगों को मुक्त कराने के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के आपरेशन बचपन अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के कुशल निर्देशन में एवं नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी. अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में थाना एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकंग व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र सिधारी के बेलइसा, थाना क्षेत्र निजामाबाद, थाना क्षेत्र सरायमीर व थाना क्षेत्र फूलपुर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों, ढ़ाबों/रेस्टोरेंट ऑटो मोबाइल की दुकानों, गैराजों पर सघन चेकिंग किया गया। उक्त अभियान के दौरान कुल 20 बाल श्रमिकों को कार्य करते हुए पाया गया। मौके पर कार्य कर रहे बाल श्रमिकों को उनके परिजनों को बुलवाकर चेतावनी देते हुए उनकी सुपुर्दगी में दिया गया तथा हिदायत दी गयी कि बच्चों से भविष्य मे बालश्रम न करायें तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों के विरुद्ध अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में श्रमविभाग द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी की गई। संयुक्त टीम द्वारा दुकानदारों/ जनता के लोगों को बालश्रम न कराने पर जोर दिया गया तथा सार्वजनिक स्थानों/ मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट/ढ़ाबा, ब्रेकरी, आटो मोबाइल की दुकान, गैराज आदि स्थानों पर बालश्रम न कराने से सम्बन्धित पोस्टर चस्पा कर तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्प लाइन नंम्बरों 108, 112, 1090, 1930,1098,1076,181 आदि के सम्बन्ध में लोगों को जागरुक किया गया।

उक्त बालश्रम उन्मूलन अभियान में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारीगण-

1. श्री रोहित प्रताप, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़
2. श्री देवेन्द्र सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़
3. प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा, थाना एएचटी आजमगढ़।
4. उ0नि0 बृजमोहन सिंह, थाना एएचटी आजमगढ़।
5. का0 रोहित मिश्र, थाना एएचटी आजमगढ़।
6. म0का0 पूनम द्विवेदी, थाना एएचटी आजमगढ़।
7. क0आ0 विनोद कुमार, श्रम विभाग आजमगढ़।